कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः– शिविरा/माध्य/सी–2/नियुक्ति–इतिहास/पीएससी–15/2017 दिनांकः–25.06.2017 के तहत सुभाष जनागल व्याख्याता इतिहास का पदस्थापन राउमावि, भारेवाला, जैसलमेर किया गया। सुभाष जनागल ने अपने पदस्थापन के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी याचिका संख्या 8765/2020 सुभाष जनागल बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की।

माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 10.09.2020 के कम में याचिकार्थी सुभाष जनागल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आरपीएससी अजमेर द्वारा जारी दिनांक 14.08.2018 के रिशफल परीक्षा परिणाम के अनुसार याचिकार्थी से निम्न वरीयता प्राप्त कमांक के अभ्यर्थियों को बीकानेर में पदस्थापन होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राबाउमावि, लूणकरणसर,बीकानेर 2. राउमावि सुरपुरा,बीकानेर 3. राउमावि कुचोर आगुणी, बीकानेर 4. राउमावि बेरासर, बीकानेर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

याचिकार्थी का पदस्थापन विधिवत काउन्सलिंग प्रकिया द्वारा ही किया गया था। याचिकार्थी द्वारा रिश्फल परिणाम में चयनित अभ्यार्थियों के पदस्थापन का आधार देते हुए इच्छित स्थान पर अपने स्थानान्तरण की मांग की जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर
दिनांकः– 16/10/2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अभ्यावेदन/सुभाष जनागल/को.के/20–21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर